2023/136

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश निवासी चक 4 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान हेतु प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजा राम निवासी, चक 4 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने एक बंद वसीसत दिनांक 18.04.2022 को कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 11.01.2023 को हो गया था। प्रार्थी ने उनके द्वारा दिनांक 18.04.2022 को रखवाई गयी बंद वसीयत को खोली जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान कृष्ण लाल लिम्बा पुत्र श्री ओमप्रकाश और महेन्द्र यादव पुत्र श्री मांगेराम यादव ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल सुथार ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय